गोपालगंज जिला : सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश

धन्नजय कुमार सिंह

भूगोल विभाग

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

गोपालगंज जिला के अंतर्गत सांस्कृतिक परिवेश में विश्लेषित किए जाने वाले पक्षों में भू–स्वामित्व एवं भूमि सुधार, संचार एवं परिवहन, इन्धन विन्यास, एवं क्रियात्मक विद्युतिकरण, जोत का आधार, खेत की आकृति तथा क्षेत्र अधिवास, सूचना प्रौद्योगिकी है, जबकि सामान्य एवं भूमि उपयोग प्रारूप, ग्रामीण उद्योग, सिंचाई, वित्तिय, संस्थायें तथा पूँजी का प्रावधान जैसे पहलू है।

मानचित्र : गोपालगंज (बिहार)

गोपालगंज जिले में भू–स्वामित्व में परिवर्तन मुगलकाल से ही शुरू हो गए थे। यहाँ कि प्रशासक जमींदार बनने लगे। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ त्रिस्तरीय भू–स्वामित्व था – (1) जिरात, बकास्त एवं जमींदार (2) रैयत (3) लगानमुक्त जोतदार थे। गोपालगंज जनपद में राज, बकास्त, जिरात की हैसियत हथुआ एवं मांझाके जमीदारों की थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली थे। रैयतों में नॉन 7 अकुपैसी तथा निष्चित दर वाले रैयतों की दशा दयनीय

थी। राज एवं जमीदारो की दया पर उनका अस्तित्व निर्भर था। उनका भ–स्वामित्व अस्थायी था, जिससे उन्हें सरलतापूर्वक वंचित किया जा सकता था।

तालिका– 1

प्राक्–स्वतंत्रता अवधि में भू–स्वामित्व (प्रतिशत में)

क्र0	भू–स्वामित्व	1901 (अंतिम सट्लमेंट)	1921 (पारिवारिक सेट्लमेंट)
1.	राज, बकास्त, एवं जमींदार	10.00	9.97
2.	रैयत (निश्चित दर, ऑकुपैंसी, एवं नॉन आकुपैंसी	86.00	86
3.	लगान–मुक्त जोत	4.00	5.03
	कुल	100	100

1955 में किए गये जमींदारी उन्मूलन के साथ भूस्वामियों एवं जमींदारों के सभी विशेषाधिकार सरकार में निहित हो गये।उनके भूस्वामित्व के अधिकारों की समाप्ति के साथ ही जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। दूसरी ओर सभी प्रकार के रैयत भूस्वामी के रूप में सुरक्षित रैयती के साथ सरकारी नियंत्रण में आ गए जिन्हें लगान अब सीधे सरकार को देना पड़ता था।

भू–स्वामित्व एवं भूमि सुधार

गोपालगंज जिला के 86 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमान्त वर्ग के हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। ये किसान अत्यंत कम भूमि पर निर्भर रहकर किसी प्रकार दोनों समय का भोजन जुटा पाते हैं। इसी भयावह स्थिति के कारण यहाँ वर्ग संघर्ष हो रहे हैं। इससे श्रम और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। यहाँ जनसंख्या में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है और यहाँ के कृषि मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिसके कारण मजदूरों का पलायन दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि स्थानों पर हो रहा है।

परिवहन

मनुष्य स्वभाव से ही भ्रमणशील प्राणी रहा है। यह विभिन्न साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। इस प्रकार मानव तथा वस्तुओं को स्थानान्तरित करने की क्रिया को ही यातायात कहा जाता है। जिस

प्रकार मानव शरीर में धमनियों से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जनपद या देश में विभिन्न यातायात के साधनों का संचार होता है। इस प्रकार जनपद की समृद्धि एवं विकास यातायात के साधनों पर निर्भर करता है।

गोपालगंज जिला के मुख्य परिवहन के साधन सड़कमार्ग, रेलमार्ग एवं जलमार्ग है। जिसमें सड़क एवं रेलमार्ग अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि संक्षिप्त दूरी के लिए समय – समय पर जलमार्ग यथा गण्डक नदी, मही नदी इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

रेलमार्ग

यह जिला अधिकांशतः रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ छपरा, गोपालगंलज, थावे रेलखण्ड, सीवान, थावे, फुलवरिया रेलखण्ड कल – कारखानों की अवस्थिति की ओर उन्मुख है। छपरा थावे रेलखण्ड एक तरफ सिघवलिया, गोपालगंज, थावे चीनी मिल कारखानो से जुड़ता है तो दूसरी सीवान फुलवरिया रेलखण्ड चीनी मील तथा शराब करखानों से जुड़ता है। यह रेल खण्ड उत्तर प्रदेश के पडरौना, गोरखपुर के बीच समतल मैदान से सम्बन्ध स्थापित करता है।

रेलवे स्टेशन

गोपालगंज जिले के अर्न्तगत सिघवलिया, बरौली, मांझागढ़, गोपालगंज, थावे, मीरगंज, फुलवरिया इत्यादि स्टेशन द्वारा प्रशासनिक, धार्मिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छपरा थावे रेलखण्ड में गोपालगंज औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही थावे धार्मिक दृष्टि से देवी माँ के लिए महत्वपूर्ण है।

सीवान थावे फुलवरिया मार्ग पर स्थित हथुआ रेलवे स्टेशन का व्यवसायिक दृष्टि (चीनी एवं शराब का कारखाना) से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हथुआ राज का राजमहल, कचहरी बाजार, स्कूल, कॉलेज, सैनिक स्कूल शैक्षणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का अध्ययन क्षेत्र रहा है। यहाँ औद्योगिक दृष्टि से डालडा फैक्ट्री विकसित है। जो आज प्रायः बन्द है।

फुलवरिया तक नया रेल्वे का विस्तार किया गया है यह भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ग्रामीण क्षेत्र रहा है। जिसका संबंध राजधानी पटना से रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ है। जिसके कारण इस स्थान का राजनैतिक महत्व अधिक रहा है।

तलिका – 2

गोपालगंज जनपद से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या

रेलखण्ड	पैसेन्जर अप	दैनिक डाउन	डी0 एम0 यू0
छपरा – थावे	6	6	1
हाजीपुर बथुआ बाजार(फुलवरिया)	1	1	
सोनपुर कप्तानगंज	1	1	
सीवान कप्तानगंज गोरखपुर	1	1	
सीवान – थावे	4	4	

14 जोड़ी गाड़ियाँ

श्रोत – मध्यपूर्व रेलवे कार्यालय द्वारा प्राप्त

सड़क

सड़क, रेलवे तथा जलमार्ग के पूरक के रूप में कार्य करती है। जिन क्षेत्रों में रेल का विकास असंभव है वहाँ सड़क मार्ग का विकास असंभव है वहाँ सड़क मार्ग का विकास किया जाता है, यही कारण है कि गोपालगंज जिला में रेलमार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग का अधिक विकास हुआ है।

प्राचीन काल में जिले की अधिकतर सड़के कच्ची थी। पक्की सड़को का विकास मुगलकाल से ही प्रारंभ हुई। ब्रिटिश काल में कुछ नयी – नयी सड़कों का विकास हुआ। लेकिन आजादी के बाद इसमें तीव्रगति से वृद्धि हुई। जिले की सभी प्रधान सड़कें गोपालगंज शहर से जुड़ी है। उच्चपथ संख्या 28 जो उत्तर प्रदेश सीमा से गोपालगंज, पिपरा कोठी, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी पश्चिम से पूर्व की ओर जुड़ी है।

गोपालगंज जनपदमें पक्की सड़कों की की कुल लंबाई 680 कि0 मी0 है और कच्ची सड़के 2680 कि0 मी0 की लम्बाई में फैली है। गाँवों की संख्या, आवासीय एवं गैर आवासीय मिलाकर 1535 है, जिनमें भिन्न–भिन्न जनसंख्या आकार वाले गाँवों को ही मात्र पक्की सड़को की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण अधिवासों को गोपालगंज जनपद में कम से कम एक कच्ची सड़क की सुविधा अवश्य प्राप्त है। फिर भी सड़को के सक्षम जाल के लिए यह आवश्यक है कि सड़कों में वृद्धिय गुणातमक प्रगति की जाय।

तलिका – 3

पक्की सड़क तक पहुँच वाले भिन्न–भिन्न जनसंक्ष्या आकार के गाँवों की संख्या

जनसंख्या आकार	गाँवों की संख्या
झ4000	12
1500 – 4000	278
1000 – 1500	318
500 – 1000	510
ढ500	427
कुल	1535

जल तथा पथ परिवहन

गोपालगंज जिले में सदावहिनी नदियों में गंडक नदी है जो वर्ष भर नौकागम्य रहती है। संक्षिप्त दूरी के लिए दक्षिण से बहती दाता एवं गण्डकी भी वर्ष भर नौकागम्य रहती है। इस जिले में नदी मार्ग का उपयोग वयवसायिक कार्यो के लिए सदियो से होता आ रहा है। अब रेल तथा सड़क मार्ग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सामग्रियों एवं यात्रियों के लिए इसका उपयोग विरले ही होता है।जनपद के आंतरिक भाग में गण्डकी, झरही एवं घनोती एक प्रमुख नौकागम्य धारा है जियका उपयोग कोयला, बालू एवं अन्न के परिवहन के लिए किया जाता है।

क्रियात्मक जोत का आधार

गोपालगंज जिले के क्रियात्मक जोत को वहाँ के धरातल, मानसून जलवायु, भूमि जोत का आकार, मिट्टी का स्वरूप, कृषि श्रमिकों की संख्या एवं किसानों के संस्कृति एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ परम्परागत कृषि जो हल तथा बैल द्वारा की जाती है, उसका स्थान इधर के दशकों में ट्रैक्टर लेता जा रहा है। यहाँ ट्रैक्टर का उपयोग छोटे किसानों के द्वारा बड़े किसानों से भाड़े पर लेकर कृषि का कार्य किया जा रहा है।

इस जिले के कुल क्रियात्मक जोत का 65.90 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्रफल में एक हेक्टेयर से भी कम है। दूसरे आकार वर्ग में 16.22 प्रतिशत जोत आते हैं। दोनो जो क्रमशः सीमान्त एवं उपसीमांत जोत है, मिलकर कुल जोतों का 82.12 प्रतिशत से अधिक होते हैं। जोतों के अन्य अपेक्षाकृत बड़े – बड़े आकार वर्गो जैसे कि लघु एवं मध्यम में क्रमशः 17.02 प्रतिशत तथा बड़ी जोतें तो कुल मिलाकर 1 प्रतिशत से भी कम हैं अर्थात कुल मिलाकर इस जिले में सीमांत तथा उप–सीमांत अव्यवहार्य जोतों की भरमार है।

सीमांत एवं उप–सीमांत जोतों की बाहुल्यता का कारण जनसंख्या का उच्च घनतव है। यहाँ कृषि भूमि की उपलब्धता में संपृक्तता की स्थिति रिविजनल सर्वे के समय ही (1915 – 19) व्याप्त हो चुकी थी। कालांतर में उर्ध्वमुखी रहनेवाले जनसंख्या वृद्धि के वक्र ने उपलब्ध कृषिय जोत को और भी विखंडित करने का कार्य किया है। फलतः जोतों का अव्यवहार्य से और भी अधिक अव्यवहार्य होते जाना स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि का वर्तमान दर असीम विखंडन का संकेत है, जो अंततः अर्थतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता है।

सीमान्त तथा उप–सीमान्त कृषक

इस जिले में औसतन 80 प्रतिशत से भी अधिक क्रियात्मक भूमि जोते सीमान्त से उप सीमान्त की है। उचकागांव, माझा, बैकुण्ठपुर, कटेया एवं बरौली के अंचलों में ये जोत तो कुल जोत के 70 प्रतिशत से भी अधिक तथा गोपालगंज तथा हथुआ अंचलों में 80 प्रतिशत से भी अधिक है। इसकी अव्यवहार्यता विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को प्रतिफलित होने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसी जोतों के किसान मात्र कृषि पर निर्भर रह भी नहीं सकते। कृषि के प्रति उनमें एक स्वाभाविक उदासीनता पायी जाती है।

लघु कृषक

मध्यम आकार यानि 2.1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के जोतों वाले कृषक को लघु कृषक कहा जाता है। कुल जोतों का ये 15 प्रतिशत से भी कम हैं। गोपालगंज तथा हथुआ अंचलों में तो इनकी उक्त भागीदारी 10 प्रतिशत से भी कम है लेकिन मांझा एवं कटेया अंचलों में ये 20 प्रतिशत से उपर हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में मांझा मालिकाना जागीर के प्रभाव में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब जमींदारी उन्मूलन हुए तब जमींदार स्वामी ऐसे कृषकों के रूप में परिणत हो गए। जिले की अर्थव्यवस्था में इन्ही लघु कृषकों का योगदान उल्लेखनीय है। अध्यवसायी एवं संघर्षशील लघु – कृषक दिन रात कृषि के कार्यो में संलग्न रहकर अर्थतंत्र को पूर्णतः आधार प्रदान करने का काम करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन की दृष्टि से उनका योगदान अन्य क्षेत्रों जैसे ही यहाँ भी बल्कि बड़े – बड़े कृषकों से भी अधिक है। इस जिले के कृषक अगर ऐसे नहीं होते, तो यहाँ निर्धनता, असंतोष एवं उथल – पुथल होता। उल्लेखनीय है कि आधुनिक समाजवादी एवं साम्यवादी गतिविधियाँ यथा माले, माओवादी, नक्सल इत्यादि बिहार में अगर कहीं भी नगण्य हैं तो गोपालगंज जिले में हैं।उसे बिहार का सर्वाधिक शांत, क्रियाशील एवं प्रगतिशील जिला कहने में कही कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, जो जिले के लिए अति सुखद एवं सुन्दर है।

समग्रशस्य भूमि उपयोग

इस जिले में कुल बोयी गयी भूमि का 43.46 प्रतिशत क्षेत्र पर धान, जो यहाँ का प्रधान फसल है। यहाँ प्राकृतिक वातावरण धान उत्पादन के लिए ज्यादा उपयुक्त है। जुलाई से दिसम्बर तक जल जमाव होने के कारण पुराने किस्म की धान बोयी जाती है। यहाँ की द्वितीय फसल गेंहूँ है जो लगभग 36.96 प्रतिशत क्षेत्रों में उगायी जाती है। इस फसल से मनुष्य के लिए रोटी प्राप्त होती है, जबकि पशुओं के लिए भूसा प्राप्त होती है। यह काफी उपयोगी खद्यान्न फसल है। उच्च पैदावार तथा विलम्ब से बोयी जाने वाली गेहूँ की नयी प्रजातियों के विकास से

गोपालगंज जिला में गेहूँ का उत्पादन एवं क्षेत्र बढ़ रहा है। यहाँ गोपालगंज, बरौली एवं बैकुंइपुर सामान्य प्रतिशत से कम वाले अंचल हैं, जहाँ गन्ने की खेती अधिक होती थी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से गन्ने के स्थान पर गेहूँ की खेती की जाती है। अतः यहाँ गेहूँ का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस जिले में मक्का तीसरे स्थान पर है। सहाँ मक्के का प्रतिशत 8.04 है, हालांकि उपयोग की दृष्टि से मक्का अधिक उपयोगी फसल है। इसका उपयोग सत्तु एवं भुंजा के रूप में अधिक किया जाता है। जिले के निम्न भाग लगभग 0.03 प्रतिशत पर जो की खेती की जाती है। साधारण फसलों में भी इसका महत्व कम है क्योंकियह कड़ा अन्न होता है और इसके उत्पादन में भी कठिनाई होती है। गेहूँ की अपेक्षा इसके उत्पादन के लिए पारिस्थतिकी अवस्थायें भी कठिन होती हैं।आलू गोपालगंज जिले में 1. 39 भाग पर उपजाया जाता है। यह यहाँ का मुख्य नकदी फसल के साथ सब्जी भी है। यह अधिकांश लोगों का खद्य पदार्थ है जिसे अधिकांश दिनों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। इसकी खेती सबसे ज्यादा उचकागाँव अंचल में होती है। इसके अलावे हथुआ तथा मीरगंज के आसपास के गाँवों में भी इसका उत्पादन अधिक होता है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. एडिज, एस0 आर0 1974 : रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल चेंजेज, 1970–71 बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पृ0 100
2. क्लार्क, सी0 एवं हासबेंल, एम0 1967 : दी इकोनॉमिक्स ऑफ सबसिस्टेन्स एग्रीकल्चर, लंदन, मैकमिलन, पृ0 60–61 एवं पृ0 66–75
3. दोई के0 1955 : दी इन्डस्ट्रीयल स्ट्रक्चर ऑफ जापानीज प्रीमैक्चर्स, प्रोसीडिंग, आई0 जी0 यू0 रीजनल कन्फेरेंस इन जापान, पृ0 310–316
4. गांगूली, वी0 एन0 1938 : ट्रेन्डस ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड पापुलेशन इन गैंगेज वैली, लंदन, पृ0 93–94
5. झा, बी0 एन0 1979 : प्राब्लम्स ऑफ लैंड यूटीलाइजेशन : ए केस स्टडी ऑफ कोशी रीजन, कलासिकल पब्लिकेशन, एन0 डी0, पृ0 73
6. मारगन, डब्लू0 बी0 एण्ड मुनटन, आर0 जे0 सी0 1971 : एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, मिथ्युन एण्ड क0 लि0, पृ0 17

7. परशर, एस0 2008 : प्रोब्लमस ऑफ रूरल डेवलेपमेंट इन सारण डिस्ट्रीक्ट अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध–ग्रंथ, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

8. सिंह, ब्रजभूषण, 1988 : कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर

9. कुमार, एम0 शर्मा, 1990 : कृषि भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी

10. श्री कमलजी, 2011 : पापुलेशन एण्ड डायमेन्सन ऑफ एग्रीकल्चर चेंज इन सीतामढ़ी डिस्ट्रीक्ट, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध, जे0 पी0 यू0, छपरा।